

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-238/90)(लिंक नं. 2509)/अलेसे-11/439-443 दिनांक :- 26/08/20

कार्यालय आदेश

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय (लिंक नं. 2509) को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 938 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा श्री शर्मा को निलंबित किया गया था। श्री शर्मा को निलंबित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री शर्मा द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

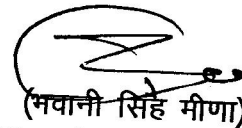
अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निल.) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 17.06.2020 से 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-238/90)(लिंक नं. 2509)/अलेसे-11/439-443 दिनांक :- 26/08/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, टोंक।
2. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निल.), मुख्यालय कोषालय टोंक।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।



(मिवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)